न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 4/2023 **GCMS 2023/9**

प्रार्थी

1. सीताराम पुत्र चेताराम जाति कुमावत निवासी मेड़ी का बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

प्रार्थना–पत्र :– बाबत राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटी सुधार हेतु अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10/02/2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2068 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2082 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2195 रकबा 0.47 हैक्टर कुल रकबा 0.61 हैक्टर व सरगोठ के खसरा नम्बर 111 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 13.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 1.50 हैक्टर कुल रकबा 16.06 हैक्टर प्रार्थी की खातेदार व हक हिस्से की भूमि सहखातेदारान के साथ आई हुई है, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पूर्व में उसके पिताजी के नाम से आई हुई थी उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्र सीताराम के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज हो गया लेकिन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में सीताराम के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र चेताराम दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय त्रुटी थी तथा उक्त नाम सत्यनारायण पुत्र चेताराम ही राजस्व अभिलेख में आज दिन तक दर्ज चला आ रहा है, प्रार्थी का सही नाम सीताराम है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, वोटर आई.टी. कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड में भी सीताराम है परन्तु राजस्व रेकर्ड में सत्यनारायण दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं से मिलने वाले लाभों व अनुदानों को प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, प्रार्थी का नाम बैंक एकाउण्ट में भी सीताराम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधार करवाना चाहता है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थी के नाम सत्यनारायण के स्थान पर सीताराम पुत्र चेताराम कर लिपिकीय त्रुटि में सुधार कर समस्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को दिये जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी [illegible] 2077 ग्राम कुचामन के खाता सं. 288, नकल खतौनी सम्वत 2073–2076 ग्राम सरगोठ के खाता सं. 266, आधार [illegible] की छाया प्रतिया, बैंक पासबुक की छाया प्रति, जन आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर आई.डी. कार्ड की छाया प्रति, पेन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र में वर्णित का अवलोकन किया गया। ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2068, 2082, 2195 कुल रकबा 0.61 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र चेताराम हिस्सा–5/48 जाति कुम्हार सा. देह सह खातेदारी में दर्ज है, ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111, 112, 116 कुल रकबा 16.06 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र चेताराम हिस्सा–1/20 जाति कुमावत सा. कुचामन खातेदार सह खातेदारी में नाम दर्ज है। जबकि आधार कार्ड सं. 4219624271970 में सीताराम पुत्र चेताराम मेडी का बास पदमपुरा मार्ग कुचामन अंकित है, एस.बी.आई. ब्रांच कुचामन पास बुक खाता संख्या 61127979418 में सीताराम पुत्र चेताराम कुचामन अंकित है, जन आधार कार्ड सं. 4814613573 में सीताराम नाम दर्ज है, वोटर आई.डी. कार्ड सं.*KWJ/2426500* में सीताराम पुत्र चेताराम कुचामन दर्ज है *pan card No. DOXPR4238R* में सीताराम पुत्र चेताराम नाम दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों से साबित है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र चेताराम है जबकि राजस्व रेकार्ड में गलती से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सीताराम के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र चेताराम गलती से दर्ज हुआ है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है। प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2068, 2082, 2195 कुल रकबा 0.61 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र चेताराम हिस्सा–5/48 ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111, 112, 116 कुल रकबा 16.06 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र चेताराम हिस्सा–1/20 अशुद्व प्रविष्टि को *शुद्व प्रविष्टि सीताराम पुत्र चेताराम हिस्सा–5/48 ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 111, 112, 116 कुल रकबा 16.06 हैक्टर में सीताराम पुत्र चेताराम हिस्सा–1/20* राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 10/02/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:59:36 IST
Reason: SelfAttested